

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L058-Koiri Bigha to Turi पथ निर्माण कार्य संवेदक Prince Kumar(Regd. No-2110523) At-Vill-Birra, Post-Dhawal, Dhol Bigha, Dist-Jahanabad, Pin-804407 को आवंटित किया गया।

एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 09.06.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.06.2021 है।

उक्त पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदक को कई बार स्मारित किये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं लिये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी का सकारण आदेश ज्ञापांक 2642 दिनांक 30.12.2022 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

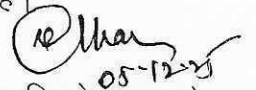
क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक 1124 दिनांक 20.02.2023 एवं पत्रांक 9456 दिनांक 02.09.2025 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से कारणपृच्छा की गई, परंतु संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

प्रश्नगत पथ की अद्यतन स्थिति के संबंध में नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एकरारनामा विखंडन के उपरांत पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने हेतु निविदा की गई।

पुनर्निविदा किये जाने के उपरांत उक्त निर्माण कार्य संवेदक Satyendra Kumar Ray को आवंटित किया गया। OMMAS से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संदर्भित पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

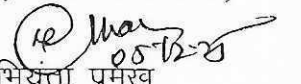
वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में एकरारनामा में विहित विनिर्देशों के अनुसार ससमय कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। साथ ही संवेदक से कई बार कारणपृच्छा करने के उपरांत भी संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना बताता है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य प्रमंडल, टिकारी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L058-Koiri Bigha to Turi पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराने के संबंधी आरोपों के आलोक में संवेदक Prince Kumar(Regd. No-2110523) को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में निहित प्रावधान के तहत 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 08.12.25


अभियंता प्रमुख

P.T.O.

निबंधित

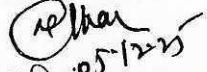
ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-264/2025 12300

प्रतिलिपि:-Prince Kumar(Regd. No-2110523) At-Vill-Birra, Post-Dhawal, Dhol Bigha, Dist-Jahanabad, Pin-804407 को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-264/2025 12300

/पटना, दिनांक:- ०५/१२/२५

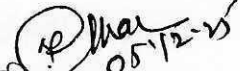
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, /भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05/12/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-264/2025 12300

/पटना, दिनांक:- ०५/१२/२५

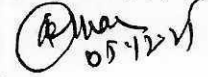
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05/12/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-264/2025 12300

/पटना, दिनांक:- ०५/१२/२५

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05/12/25
अभियंता प्रमुख
६५